संख्या-14/2024//001-134-23-12-2024-23-12099-099-51-2023

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनांवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-16एनएच/184एन/2023 दिनांक 02.01.2024, पत्रांक-140एनएच184एन23, दिनांक 09.01.2024, पत्रांक-391एनएच/184एन/2023, दिनांक 05.02.2024, पत्रांक-206एनएच/184एन/2023, दिनांक 16.01.2024 तथा पत्रांक- 319एनएच/184एन/2023, दिनांक 03.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रू0 796.00 लाख (रूपये सात करोड़ छियान्बे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	खण्ड का नाम	रा0मा0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)
1	रा0मा0 खण्ड, बरेली	730A, 731K, 730	(i) रा0मा0 सं0-730ए के कि0मी0 0.00 से 105.500 (15.500 से 17.00 छोड़कर) तक, रा0मा0 सं0-731 K के कि0मी0 0.00 से 107.00 (43.800 से 79.350 छोड़कर) तथा रा0मा0 सं0-730 के कि0मी0 0.00 से 82.00 (2.180 से 3.260 एवं 30.840 से 31.620 छोड़कर)	258.34
			(ii) रा0मा0 सं0-730 के कि0मी0 32 में पुरानी आर्च कल्वर्ट की मरम्मत	49.54
2	रा0मा0 खण्ड, गाजियाबाद	334DD	(i) रा0मा0 सं0-334 DD के कि0मी0 5.250 से 11.200, 13.600 से 16.00 एवं 19.00 से 23.900 तक के भाग में मरम्मत कार्य।	27.11
			(ii) रा0मा0 सं0-235 (नया रा0मा0 सं0-334) के कि0मी0 0.410 से 3.00 तक के भाग में मरम्मत कार्य।	9.39
3	रा0मा0 खण्ड, खीरी	730,727H	रा0मा0 सं0-730 के कि0मी0 188.800 से 226.260 एवं रा0मा0 सं0-727एच के किमी0 110.750 से 126.970 तक मरम्मत कार्य।	30.08
4	रा0मा0 खण्ड, प्रयागराज	96 (330)	रा0मा0 सं0-96/330 (अयोध्या-प्रयागराज मार्ग) के किमी0 148.900 से 149.700 तक मरम्मत कार्य।	19.95
5	रा0मा0 खण्ड, इटावा	321G	रा0मा0 सं0-321 G के किमी0 52 से 77 तक के मध्य मरम्मत कार्य।	48.85
6	रा0मा0 खण्ड, सिद्धार्थ नगर	730	रा0मा0 सं0-730 के कि0मी0 422.200 से 424.675 एवं 443.150 से 449.450	25.00
7	रा0मा0	731A 96(330)	रा0मा0 सं0-731ए (मोहनगंज-जेठवारा-श्रंगवेरपुर-मंझनपुर-राजापुर-चित्रकूट	66.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	खण्ड, प्रयागराज		मार्ग) के किमी0 35.00 से 43.750 एवं 52.200 से 132.850 एवं रा0मा0 सं0-96 (330) (अयोध्या-प्रयागराज मार्ग) के किमी0 149, 150 एवं 154 सुरक्षात्मक रिपेयर कार्य।	
8	रा0मा0 खण्ड अयोध्या	330	रा0मा0 सं0-330 के किमी0 142.00 से 224.830	64.36
9	रा0मा0 खण्ड, सुल्तानपुर	330 (96)	Road Signage and Repair work of NH-330 (Old NH-96)(Prayagraj-Ayodhya Road) in km 95.530 to 142.00 in the State of UP under OR के अन्तर्गत।	125.18
10		330 (96)	Supply, Fixing and eraction of Builtup Overhead Structure on NH-330(Old NH-96)(Praygraj-Ayodhya Road) in km 73 and 63 under OR के अन्तर्गत।	13.66
11	रा0मा0 खण्ड, सुल्तानपुर	330 (Old NH-96)	रा0मा0 सं0-330 के कि0मी0 95.330 से 142.00 तक रोड साईनेज एवं मरम्मत का कार्य।	41.15
12	रा0मा0 खण्ड, सीतापुर	330D	रा0मा0 सं0-330 डी के किमी0 35 में क्षतिग्रस्त पुलिया का हयूम पाइप द्वारा नयी पुलिया का निर्माण कार्य।	16.55
			कुल योग	**796.00**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रशासकीय विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0 2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित/सम्मिलित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यो को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अंतर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(9) लेबर सेस की नियमानुसार धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(11) प्रश्नगत अनुरक्षण/मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा धनराशि का उपभोग नहीं किये जाने की दशा में समर्पण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(12) प्रश्नगत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/कार्यलय ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभाग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/ विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन सक्षम स्तर की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति न होने पाये।

(14) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही अनुरक्षण कार्य सम्पादित/प्रारम्भ कराया जाये।

(15) भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(17) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रशा0 विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) प्रशा 0 विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,96,00,000 (रूपये सात करोड़ छियानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054043370700 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-1278-X-2023-24, दिनांक 27.02.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-14/2024//134-23-12-2024-23-12099-099-51-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- मुख्य अभियन्ता(रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
14- लोक निर्माण अनु0-10
15- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।